

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## प्रेस-नोट

क्रमांक : एफ.6( )विविध/परीक्षा 'घ' /व0अ0 (माशि) /काउंसलिंग /2022 /20

दिनांक : 16.08.2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-माध्यमिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा-2022 विषय-गणित, विज्ञान एवं पंजाबीके अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची क्रमशः दिनांक 02.08.2023, 04.08.2023 एवं 08.08.2023 को जारी कर दी गई हैं। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर कार्यालय परिसर में दिनांक 23.08.2023 से आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट <http://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 07 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे।

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पद का विषय	Shift	परिणाम (विचारित-सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर		काउंसलिंग की दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	गणित	M	2001001	2037210	23.08.2023	105	905(NTSP) 15(TSP)
		E	2038577	2138893		225	
		M	2138908	2231106	24.08.2023	225	
		E	2231119	2309267		225	
		M	2309311	2402339	25.08.2023	140	
2	विज्ञान	M	2000103	2007835	25.08.2023	75	1480(NTSP) 64(TSP)
		E	2007916	2072529		225	
		M	2072579	2134560	28.08.2023	225	
		E	2134575	2195373		225	
		M	2195471	2217326	29.08.2023	225	
		E	2217363	2296210		225	
		M	2296217	2361068	31.08.2023	225	
		E	2361154	2389766		119	
3	पंजाबी	E	2183988	2368087	31.08.2023	7	7(NTSP)

आयोग द्वारा आयोजित उक्त काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक सेकोई ऑफलाईन पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग-पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)

सचिव